PBR/निगरानी/गुना/भू-रा/2017/2327

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– ..../ /2017 निगरानी

1– श्रीमती शीलाबाई पत्नी घनराम पुत्र नन्नूलाल चिडार

2– श्रीमती कान्ताबाई पत्नी श्री मेहरवान सिंह पुत्र नन्नूलाल चिडार समस्त निवासीगण ग्राम तिल्ली खेड़ा तहसील व जिला गुना —आवेदकगण

बनाम

1– मध्य प्रदेश शासन

2– देवीलाल पुत्र मरदनिया जाति हरिजन

3– निरंजन पुत्र प्यारा हरिजन

4– सोमा पुत्र प्यारा हरिजन

5– मान सिंह पुत्र प्यारा हरिजन समस्त निवासीगण ग्राम तिल्ली खेड़ा तहसील व जिला गुना —अनावेदकगण

5(क) 1- कलाबाई पत्नी लालाराम
2- रामवीर पुत्र लालाराम
3- श्यामबाई पुत्री लालाराम
4- नकस्माबाई पत्नी ग्राम तिल्लीखेड़ा तह. व जि. गुना

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/स्व.निग./2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 07/06/2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

प्रकरण क्रमांक–पीबीआर/निगरानी/भू.रा./2017/2327

श्रीमती शीलाबाई व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
13–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री राजीव शर्मा शासकीय अभिभाषक व अन्य अनावेदकगण की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्र. क्र. 01/स्व–निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 07–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 13/5/19	